समक्ष डी.एस तेवतिया और सुरिंदर सिंह, जे.जे

ओरिएण्टल फायर और जनरल इन्सुरांस कम्पनी लिमिटेड,चंडीगढ़- अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती ब्यासा देवी और अन्य- उत्तरदाता

आदेश संख्या 452/1984 से प्रथम अपील

27 सितम्बर 1984

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV)-धारा 92-ए, 92-बी, 92-ई; 93(बीए), 94, 95, 96 और 110-बी-मोटर दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है-बिना किसी गलती के दायित्व के सिद्धांत पर धारा 92-ए के तहत मुआवजे का दावा-क्या बीमाकर्ता द्वारा संतुष्ट होने के लिए उत्तरदायी है-आपत्तिजनक वाहन - ऐसे दावे को संतुष्ट करने के लिए बीमाकर्ता का दायित्व जब उठता है - धारा 96(2) के तहत बीमाकर्ता को उपलब्ध आपत्तियों की जांच - चरण - पर चर्चा की गई।

माना जाता है कि दुर्घटना के लिए घायलों या मृतक के दावेदारों को मुआवजा या क्षति का भुगतान करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति ही अपराधी वाहन का मालिक है। बीमाकर्ता की देनदारी पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों के अनुसार बताई गई है। यह मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 95 की उपधारा (5) के तहत बीमाधारक के लिए योग्य है और धारा 96 की उपधारा (1) के तहत बीमाधारक से मुआवजे के दावेदारों के लिए योग्यता है। बीमाकर्ता का नाम धारा 110बी में भी आता है धारा 96 के प्रावधानों के मद्देनजर ट्रिब्यूनल को पुरस्कार में उस व्यक्ति को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत किया गया है जिसे मुआवजा दिया जाना है और वह पक्ष जिसे पूरा या आंशिक भुगतान करना है, यानी, उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक या चालक या बीमाकर्ता । न तो धारा 95 की उपधारा (5) और न ही धारा 96 एक मामले में बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने और दूसरे मामले में दावेदारों को आदेश या पुरस्कार में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के बीमाकर्ता के दायित्व के संबंध में कोई अंतर नहीं करती है। बिना यह पूछताछ किए कि क्या बीमाधारक दावेदारों को उक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पाया गया था, बिना किसी गलती दायित्व या गलती दायित्व के सिद्धांत पर मुआवजा दिया गया था। इसका मतलब है, यदि बीमाधारक के खिलाफ कोई पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें उसे अपने मोटर वाहन के साथ दुर्घटना से उत्पन्न दावे के संबंध में मुआवजे या क्षति के रूप में कुछ राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो बीमाकर्ता का दायित्व पूर्ण है

और बीमाकर्ता सवाल नहीं कर सकता है। क्या दी गई राशि गलती दायित्व के परिणामस्वरूप थी या अन्यथा। इस प्रकार, यह माना जाता है कि बीमाकर्ता बीमाकृत वाहन के साथ दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले मुआवजे के दावे को उस सीमा तक संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी है, जो धारा 95 के संदर्भ में बीमा की पॉलिसी कवर करती है और इसलिए, उस सीमा तक पॉलिसी का कवरेज बीमाकर्ता को यह पूछे बिना कि क्या दी गई राशि धारा 92-ए के तहत है या अन्यथा, पुरस्कार या पुरस्कारों में नामित व्यक्ति को दी गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ( पैरा 7,8,9 )

यह माना गया कि धारा 96 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बीमा कंपनी को धारा 92-ए के तहत बीमाकर्ता के रूप में दायित्व से जोड़ा जा सकता है, केवल तभी जब बीमा कंपनी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि उल्लंघन करने वाले वाहन का बीमा किया गया था या ऐसा तथ्य प्रथम दृष्टया है रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से स्पष्टतः स्थापित किया गया।

( पैरा 10 )

माना गया कि धारा 92-ए का प्रावधान मोटर दुर्घटनाओं के असहाय और असहाय पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने वाला लाभकारी और सुधारात्मक कानून है। जिस क्षण वाहन के मालिक द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उसका वाहन दुर्घटना में शामिल होने या रिकॉर्ड पर पेश किए गए सबूतों से, ट्रिब्यूनल सकारात्मक रूप से मानता है कि विचाराधीन मालिक का वाहन उस दुर्घटना में शामिल था, यदि उसने उस तथ्य से इनकार किया है और फिर यदि ट्रिब्यूनल आगे प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर आता है कि वाहन का बीमा किया गया था, तो ट्रिब्यूनल बीमा कंपनी द्वारा उठाई जा सकने वाली अन्य आपत्तियों की सत्यता की जांच किए बिना धारा 92-ए के तहत पुरस्कार देने का हकदार होगा और बीमा कंपनी को दावेदारों को दी गई राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होगी और इसके बाद बीमा कंपनी या आपत्तिजनक वाहन के मालिक द्वारा उठाई गई अन्य आपत्तियों की सत्यता या अन्यथा की जांच और जांच करें।

माना गया कि यदि न्यायाधिकरण वैध कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वाहन का मालिक गलती दायित्व के सिद्धांत पर कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो जाहिर तौर पर उस स्कोर पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। धारा 110-बी के तहत दावेदार। इसी प्रकार, यदि ट्रिब्यूनल ने माना कि बीमा कंपनी ने ऐसी आपत्तियों को साबित कर दिया है, क्योंकि कानून के तहत उसने अपराधी वाहन के मालिक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति देने की अपनी जिम्मेदारी से परहेज किया है, तो ट्रिब्यूनल ने उप-धारा (4) के प्रावधानों के आधार पर अंतिम निर्णय दिया। ) अधिनियम की धारा 96 के तहत उल्लंघन

करने वाले वाहन के मालिक को बीमा कंपनी को वह राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा जो बीमा कंपनी ने अधिनियम की धारा 92-ए के तहत दिए गए पुरस्कार के अनुसरण में दावेदारों को भुगतान किया था। ( पैरा 11, 12 )

श्री बी.एस. नेहरा, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के न्यायालय के 23 फरवरी 1984 के आदेश से पहली अपील, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 (मैसर्स ओरिएंटल फायर जनरल इंश्योरेंस कंपनी) को रुपये की अंतरिम राहत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 92-ए के तहत दावेदारों को 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जैसा कि बाद में सुनवाई की अगली तारीख, यानी 17 अप्रैल 1984 को देने और उत्तरदाताओं द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के लिए भी प्रार्थना की गई थी।

अपीलकर्ता की ओर से वी. पी. गांधी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 4 के लिए वकील के एल अरोड़ा।

एम. बी सिंह, वकील, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए।

एल. एम. सूरी, अधिवक्ता, हस्तक्षेपकर्ता के रूप में।

**निर्णय**

डी.एस तेवतिया, जे.

1. 17 जून 1983 को शाम लगभग 4.45 बजे बिशन दास नाम का एक व्यक्ति सेक्टर 16 और 23 को विभाजित करने वाली सड़क पर जा रहा था और उसकी मोटर साइकिल नंबर सीएचयू-6771 के साथ दुर्घटना हो गई, जिसने उसे पीछे से टक्कर मार दी और परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं। 19 जून 1983 को पीजीआई में मृत्यु हो गई। बिशन दास की विधवा श्रीमती ब्यासा देवी और उनकी दो बेटियों मिस अनीता और मिस सुनीता ने 3 लाख रुपये की राशि के लिए अपना दावा पेश किया और साथ ही प्रार्थना की कि 15,000 रुपये की राशि तुरंत प्रदान की जाए। उन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 92-बी के साथ पठित धारा 92-ए के तहत बिना गलती दायित्व के तहत दिया जाएगा। दावा याचिका में मालिक प्रतिवादी नंबर 4 गुरदेव सिंह के अलावा, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भी प्रतिवादियों में से एक के रूप में शामिल किया गया था। आपत्तिजनक वाहन के मालिक ने दुर्घटना स्वीकार की, जिसके बाद दावा न्यायाधिकरण ने 15,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। बीमा कंपनी द्वारा, - अधिनियम की धारा 92-ए के तहत अपने आदेश, दिनांक 23 फरवरी, 1984 द्वारा, हालांकि कहा जाता है कि बीमा कंपनी ने यह रुख अपनाया है कि वह उस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। मुख्य मामला 17 अप्रैल 1984 और फिर 30 अप्रैल 1984 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिस तारीख को बीमा कंपनी ने अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें यह आपत्ति ली गई कि वाहन अजमेर सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसके पास केवल पंजाब में वैध लर्निंग लाइसेंस था, चंडीगढ़ में नहीं और इसलिए, कंपनी किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। बीमा कंपनी ने इस न्यायालय में 23 फरवरी 1984 के अंतरिम फैसले पर आपत्ति जताई है।
2. अपीलकर्ता बीमा कंपनी के वकील श्री विजय गांधी ने हमारे सामने कहा है कि धारा 92-ए के तहत, केवल मालिक ही उस प्रावधान के तहत परिकल्पित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, न कि बीमाकर्ता कंपनी। विकल्प में, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि, किसी भी मामले में, बीमाकर्ता के रूप में बीमा कंपनी केवल उस स्थिति में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, यदि अधिनियम की धारा 96 के तहत उसे उपलब्ध बचाव नहीं उठाया गया है या यदि उठाया गया है तो बीमा कंपनी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।

3. अपील में उठाया गया कानून का प्रश्न काफी योग्य प्रतीत होता है और इसलिए, अपील को डिवीजन बेंच में स्वीकार कर लिया गया और इस तरह, यह हमारे सामने है।

4. अपीलकर्ता और प्रतिवादी की ओर से आगे बढ़ाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर ध्यान देने से पहले, क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देने योग्य है। धारा 92-ए, जो बिना गलती के दायित्व का प्रावधान करती है, निम्नलिखित शर्तों में है: -

"92-ए. कुछ मामलों में बिना गलती के सिद्धांत पर मुआवजा देने का दायित्व- (1) जहां मोटर वाहन या मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो गई है, वाहन का मालिक , या जैसा भी मामला हो, वाहनों के मालिक, संयुक्त रूप से और अलग-अलग, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मृत्यु या विकलांगता के संबंध में मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में उप-धारा (1) के तहत देय मुआवजे की राशि पंद्रह हजार रुपये की एक निश्चित राशि होगी और स्थायी विकलांगता के संबंध में उस उप-धारा के तहत देय मुआवजे की राशि होगी। किसी भी व्यक्ति को सात हजार पांच सौ रुपये की निश्चित राशि दी जाएगी।

(3) उप-धारा (1) के तहत मुआवजे के किसी भी दावे में, दावेदार को यह दलील देने और स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में दावा किया गया है वह किसी गलत कार्य, उपेक्षा या संबंधित वाहन या वाहनों के मालिक या स्वामियों या किसी अन्य व्यक्ति की चूक।

(4) उप-धारा (1) के तहत मुआवजे का दावा उस व्यक्ति के किसी भी गलत कार्य, उपेक्षा या डिफ़ॉल्ट के कारण विफल नहीं होगा, जिसकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में दावा किया गया है, न ही मुआवजे की मात्रा। ऐसी मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में वसूली योग्य मुआवजा ऐसी मृत्यु या स्थायी विकलांगता की जिम्मेदारी में ऐसे व्यक्ति की हिस्सेदारी के आधार पर कम किया जाएगा।

धारा 92-बी, जो प्रावधान करती है कि धारा 92-ए के तहत दावा मुआवजे के अन्य दावे के अतिरिक्त होगा ओह 1 गलती का सिद्धांत, निम्नलिखित शर्तों में है:-

"92-बी. मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए मुआवजे का दावा करने के अन्य अधिकार के बारे में प्रावधान- (1) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में धारा 92-ए के तहत मुआवजे का दावा करने का अधिकार अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगा (इसके बाद इस अनुभाग मे गलती के सिद्धांत पर अधिकार के

रूप में संदर्भित किया गया है) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत उसके सम्मान में मुआवजे का दावा करने के लिए।
(2) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में धारा 92-ए के तहत मुआवजे के दावे का यथासंभव शीघ्र निपटान किया जाएगा और जहां धारा 92-ए के तहत ऐसी मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में मुआवजे का दावा किया गया है। गलती के सिद्धांत पर किसी भी अधिकार के अनुसरण में, धारा 92-ए के तहत मुआवजे का दावा पहले स्थान पर पूर्वोक्त तरीके से निपटाया जाएगा।
(3) उप-धारा (1) में किसी बात के बावजूद, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में, धारा 92-ए के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी अधिकार के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। गलती के सिद्धांत पर, उत्तरदायी व्यक्ति प्रथम-उल्लेखित मुआवजे का भुगतान करेगा और-
(ए) यदि प्रथम-उल्लेखित मुआवजे की राशि दूसरे-उल्लेखित मुआवजे की राशि से कम है, तो वह (पहले उल्लिखित मुआवजे के अलावा) दूसरे-उल्लेखित मुआवजे का केवल उतना ही भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो बराबर है उस राशि तक जिससे यह प्रथम-उल्लेखित मुआवज़े से अधिक है;
(बी) यदि पहले उल्लिखित मुआवजे की राशि दूसरे उल्लिखित मुआवजे की राशि के बराबर या उससे कम है, तो वह दूसरे उल्लिखित मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
अध्यारोही प्रभाव प्रदान करने वाली धारा 92-ई निम्नलिखित शर्तों में है-
“92-ई. अधिभावी प्रभाव.–इस अध्याय के प्रावधान इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होंगे।"

दायित्व को परिभाषित करने वाली धारा 93(बीए) के प्रासंगिक प्रावधान में है निम्नलिखित शर्तें:-
"(बीए) 'दायित्व' का उपयोग जहां भी किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में किया जाता है, उसमें धारा 92-ए के तहत उसके संबंध में दायित्व शामिल है।"

धारा 94 के प्रासंगिक प्रावधान जो आवश्यकता की परिकल्पना करते हैं
तीसरे पक्ष के जोखिम के विरुद्ध बीमा इस प्रकार है -

“94. तीसरे पक्ष के जोखिम के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता-(1) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर यात्री के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मोटर वाहन का उपयोग नहीं करेगा या इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि वाहन के उपयोग के संबंध में कोई नियम लागू न हो वह व्यक्ति या वह अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, इस अध्याय की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी है।

धारा 95 के प्रासंगिक प्रावधान जो नीतियों की आवश्यकताओं और दायित्व की सीमाओं से संबंधित हैं, इस प्रकार हैं:--

95. पॉलिसियों की आवश्यकताएँ और दायित्व की सीमाएँ (1) इस अध्याय की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, बीमा की एक पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो–

(ए) एक्स एक्स एक्स एक्स

(बी) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमा तक पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों का बीमा करता है–

(I) सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति की क्षति के संबंध में उसके द्वारा उठाए गए किसी भी दायित्व के खिलाफ:

(II) सार्वजनिक सेवा वाहन के किसी भी यात्री की सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे होने वाली मृत्यु या शारीरिक चोट के विरुद्ध।

बशर्ते कि किसी पॉलिसी की आवश्यकता न हो–

(I) पॉलिसी से घायल व्यक्ति के कर्मचारी की उसके रोजगार के दौरान और उससे होने वाली मृत्यु के संबंध में या ऐसे कर्मचारी द्वारा उत्पन्न शारीरिक चोट के संबंध में दायित्व को कवर करने के लिए श्रमिक के मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व के अलावा उसके रोजगार से बाहर और उसके दौरान ऐसे किसी भी कर्मचारी की मृत्यु, या उसे शारीरिक चोट लगने पर–

(ए) वाहन चलाने में लगे हुए हैं या

(बी) यदि यह एक सार्वजनिक सेवा वाहन है, तो वाहन के कंडक्टर के रूप में या वाहन पर टिकटों की जांच करने में लगा हुआ है

(सी) यदि यह एक मालवाहक वाहन है, जिसे वाहन में ले जाया जा रहा है, या

(ii) सिवाय इसके कि जहां वाहन एक ऐसा वाहन है जिसमें यात्रियों को किराये या इनाम के लिए या रोजगार के अनुबंध के कारण या उसके अनुसरण में ले जाया जाता है, जिसमें ले जाए जा रहे व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में दायित्व को कवर करने के लिए या जिस घटना से दावा उत्पन्न होता है, उसके घटित होने के समय वाहन में प्रवेश करना, चढ़ना या उतरना, या

(iii) किसी संविदात्मक दायित्व को कवर करने के लिए।

स्पष्टीकरण: संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति को नुकसान, के उपयोग के कारण हुआ या उससे उत्पन्न हुआ माना जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर वाहन इस बात के बावजूद कि जो व्यक्ति मर गया है या घायल हो गया है या जो संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान पर नहीं थी, यदि वह कार्य या चूक जिसके कारण दुर्घटना हुई वह सार्वजनिक स्थान पर हुई हो।

xx xx xx xx (5) किसी भी कानून में कहीं और निहित होने के बावजूद, इस धारा के तहत बीमा की पॉलिसी जारी करने वाला व्यक्ति किसी भी दायित्व के संबंध में पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे पॉलिसी मामले में कवर करने का इरादा रखती है। उस व्यक्ति का या उन वर्गों के व्यक्तियों का।

धारा 96 का प्रासंगिक भाग, जो तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में बीमित व्यक्तियों के खिलाफ निर्णय को संतुष्ट करने के लिए बीमाकर्ताओं के कर्तव्य का प्रावधान करता है। निम्नलिखित शर्तें:--

"96. तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में बीमाकृत व्यक्तियों के खिलाफ निर्णय को संतुष्ट करने के लिए बीमाकर्ताओं का कर्तव्य (1) यदि, एस.95 की उपधारा (4) के तहत बीमा प्रमाणपत्र जारी होने के बाद_उस व्यक्ति के पक्ष में जिसके द्वारा पॉलिसी लागू की गई है, ऐसे किसी भी दायित्व के संबंध में निर्णय, जो कि उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत पॉलिसी द्वारा कवर किया जाना आवश्यक है। (पॉलिसी की शर्तों द्वारा कवर की गई देनदारी होने के नाते) पॉलिसी द्वारा बीमित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्राप्त किया जाता है, फिर भी बीमाकर्ता बचने या रद्द करने का हकदार हो सकता है या टाल सकता है या रद्द कर सकता है पॉलिसी, बीमाकर्ता, इस धारा के प्रावधान के

अधीन, डिक्री के लाभ के हकदार व्यक्ति को उसके तहत देय बीमा राशि से अधिक नहीं किसी भी राशि का भुगतान करेगा, जैसे कि वह दायित्व के संबंध में निर्णय-ऋणी हो। , लागतों के संबंध में देय किसी भी राशि और निर्णयों पर ब्याज से संबंधित किसी भी अधिनियम के आधार पर उस राशि पर ब्याज के संबंध में देय किसी भी राशि के साथ।

(2) किसी भी निर्णय के संबंध में उप-धारा (1) के तहत बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि तब तक देय नहीं होगी जब तक कि कार्यवाही शुरू होने से पहले या बाद में जिसमें निर्णय दिया जाता है, बीमाकर्ता को न्यायालय के माध्यम से निर्णय लाने की सूचना नहीं मिली हो। कार्यवाही, या किसी निर्णय के संबंध में जब तक अपील लंबित रहने तक निष्पादन रुका हुआ है; और जिस बीमाकर्ता को ऐसी कोई कार्यवाही लाने का नोटिस दिया गया है, वह उसमें एक पक्ष बनने और निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर कार्रवाई का बचाव करने का हकदार होगा, अर्थात्: -

(ए) कि पॉलिसी आपसी सहमति से या दुर्घटना से पहले देयता को बढ़ाने वाले किसी भी प्रावधान के आधार पर रद्द कर दी गई थी, और या तो बीमा का प्रमाण पत्र बीमाकर्ता को सौंप दिया गया था या व्यक्ति को जिसे प्रमाणपत्र जारी किया गया था, उसने एक हलफनामा दिया है जिसमें कहा गया है कि प्रमाणपत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, या दुर्घटना होने के चौदह दिन से पहले या बाद में बीमाकर्ता ने प्रावधानों के अनुपालन के बाद प्रमाणपत्र को रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। या

(बी) कि पॉलिसी की एक निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ है, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक है, अर्थात् :-

i) वाहन के उपयोग को छोड़कर एक शर्त–

क) भाड़े या इनाम के लिए, जहां बीमा अनुबंध की तिथि पर वाहन भाड़े या इनाम के लिए चलाने के परमिट के दायरे में नहीं आता है, या

बी) संगठित रेसिंग और गति-परीक्षण के लिए; या

ग) परमिट द्वारा अनुमति न दिए गए उद्देश्य के लिए जिसके तहत वाहन का उपयोग किया जाता है, जहां वाहन एक मोटर साइकिल है; या

घ) बिना साइड-कार संलग्न किए, जहां वाहन मोटर-साइकिल है; या

ii) किसी नामित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग को छोड़कर, जिसके पास विधिवत लाइसेंस नहीं है, या किसी ऐसे

व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग को छोड़कर, जिसे अयोग्यता की अवधि के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराया गया है; या
iii) युद्ध, गृहयुद्ध, दंगा या नागरिक हंगामे की स्थितियों के कारण हुई या योगदान की गई चोट के लिए दायित्व को छोड़कर एक शर्त; या
ग) यह पॉलिसी इस आधार पर अमान्य है कि यह किसी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा न करने या ऐसे तथ्य का प्रतिनिधित्व करके प्राप्त की गई थी जो कुछ महत्वपूर्ण विशिष्टताओं में गलत था।
xx xx xx xx (4) यदि बीमाकर्ता इस धारा के तहत पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति द्वारा किए गए दायित्व के संबंध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो वह राशि उस राशि से अधिक हो जाती है जिसके लिए बीमाकर्ता इस धारा के प्रावधानों के अलावा पॉलिसी के तहत उत्तरदायी होगा। उस दायित्व के संबंध में, बीमाकर्ता उस व्यक्ति से अतिरिक्त राशि वसूलने का हकदार होगा।

अधिनियम की धारा 110-बी दावा न्यायाधिकरण के पुरस्कार का प्रावधान करती है, जो इस प्रकार है:--
"110बी-दावा न्यायाधिकरण का पुरस्कार। धारा 110ए के तहत मुआवजे के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, दावा न्यायाधिकरण, पक्षों को एक अवसर देने या उनकी बात सुनने के बाद, जांच करेगा। दावा या, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक दावा और, एस. 109-बी के प्रावधानों के अधीन, एक पुरस्कार दिया जा सकता है, मुआवजे की वह राशि निर्धारित करना जो उसे उचित प्रतीत हो और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करना जिसे मुआवजा दिया जाएगा, और पुरस्कार देने में दावा न्यायाधिकरण उस राशि को निर्दिष्ट करेगा जो बीमाकर्ता या मालिक या ड्राइवर द्वारा भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना में शामिल वाहन या उनमें से सभी या किसी एक द्वारा, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि ऐसा आवेदन किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में धारा 92-ए के तहत मुआवजे के लिए दावा करता है , इस तरह की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में मुआवजे के लिए ऐसा दावा और कोई अन्य दावा (चाहे ऐसे आवेदन में या अन्यथा किया गया हो) अध्याय VII-ए के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

5. श्री गांधी ने खुद को मुख्य रूप से धारा 92-ए के शब्दों पर आधारित करते हुए कहा कि धारा 92-ए के तहत दायित्व केवल मालिक का है, बीमाकर्ता का नहीं। यदि क़ानून के निर्माताओं ने बीमाकर्ता के दायित्व को ध्यान में रखा था, तब उन्होंने 'मालिक' अभिव्यक्ति का उपयोग करने के बजाय, जैसा भी मामला हो, अभिव्यक्ति 'मालिक' या 'बीमाकर्ता' का उपयोग किया होता।
6. हमें नहीं लगता कि अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्क में कोई दम है। यदि धारा 92-ए की उनकी व्याख्या को स्वीकार किया जाता है तो दोष दायित्व के सिद्धांत पर दिया जाने वाला मुआवजा भी धारा 92 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के आधार पर अकेले मालिक को ही भुगतान करना होगा- बी जो प्रावधान पढ़ता है कि धारा 92-ए के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति गलती के सिद्धांत पर अधिकार के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है।
7. दुर्घटना के लिए घायलों या मृतक के दावेदारों को मुआवज़ा या क्षति का भुगतान करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति, अपराधी वाहन का मालिक है। बीमाकर्ता का दायित्व पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है जो कि योग्यता है धारा 95 की उप-धारा (5) द्वारा बीमाकृत और धारा 96 की उप-धारा (1) के तहत बीमाधारक से मुआवजे के दावेदारों की योग्यता। धारा 110-बी में बीमाकर्ता का नाम भी धारा के प्रावधानों के मद्देनजर आता है 96 ट्रिब्यूनल को पुरस्कार में उस व्यक्ति को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करता है जिसे मुआवजा दिया जाना है और वह पक्ष जिसे पूरा या आंशिक भुगतान करना है यानी, उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक या चालक या बीमाकर्ता।
8. न तो धारा 95 की उपधारा (5) और न ही धारा 96 एक मामले में बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने और दूसरे मामले में दावेदारों को आदेश या पुरस्कार में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के बीमाकर्ता के दायित्व के संबंध में कोई अंतर नहीं करती है। इस बारे में और पूछताछ किए बिना कि क्या बीमाधारक दावेदारों को उक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पाया गया था, बिना किसी गलती दायित्व या दोष दायित्व के सिद्धांत पर मुआवजा दिया गया था। इसका मतलब है, यदि बीमाकृत होल्डिंग के खिलाफ कोई पुरस्कार दिया जाता है वह अपने मोटर वाहन के साथ दुर्घटना से उत्पन्न दावे के संबंध में मुआवजे या क्षति के रूप में कुछ राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, तो बीमाकर्ता का दायित्व पूर्ण है और बीमाकर्ता यह सवाल नहीं कर सकता है कि दी गई राशि गलती दायित्व के परिणामस्वरूप थी या नहीं अन्यथा।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि बीमाकर्ता बीमाकृत वाहन के साथ दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले मुआवजे के दावे को उस राशि की सीमा तक संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी है, जो धारा 95 के संदर्भ में बीमा की पॉलिसी द्वारा कवर की जाती है और इसलिए, पॉलिसी की सीमा बीमाकर्ता को यह पूछे बिना कवर करती है कि क्या दी गई राशि धारा 92-ए के तहत है या अन्यथा पुरस्कार या पुरस्कारों में नामित व्यक्ति को दी गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10. हालाँकि, श्री गांधी ने तर्क दिया कि बीमाकर्ता का दायित्व बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देना है और उदाहरण के लिए यदि उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक ने कोई पॉलिसी नहीं ली है और यदि कोई गलत तरीके से और गलत तरीके से बीमा कंपनी को एक पक्ष बनाता है। दावे के आवेदन पर, क्या बीमा कंपनी इस बात से इनकार करती है कि उसने कोई पॉलिसी कवर जारी किया है, क्या वह धारा 92-ए के तहत दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी? इस प्रश्न का उत्तर एक प्रति प्रश्न द्वारा दिया जा सकता है कि क्या वाहन के मालिक को धारा 92-ए के तहत मुआवजा देना होगा यदि वह इस बात से इनकार करता है कि विचाराधीन दुर्घटना उसके वाहन के साथ नहीं हुई थी। किसी भी स्थिति में, ट्रिब्यूनल धारा 92-ए के तहत पुरस्कार नहीं दे सकता जब तक कि वाहन का मालिक अपने वाहन के साथ दुर्घटना को स्वीकार नहीं करता या यह साबित नहीं हो जाता कि, वास्तव में, दुर्घटना उसके वाहन के साथ हुई थी। स्थिति बीमा कंपनी की देनदारी के संबंध में धारा 92-ए के तहत पुरस्कार के संबंध में कोई भिन्न नहीं हो सकता है। धारा 96 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बीमा कंपनी को धारा 92-ए के तहत बीमाकर्ता के रूप में दायित्व से जोड़ा जा सकता है, केवल तभी जब बीमा कंपनी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि उल्लंघन करने वाले वाहन का बीमा किया गया था या ऐसा तथ्य प्रथम दृष्टया रिकार्ड पर सामग्री से स्थापित है।

11. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि अधिनियम की धारा 96(2) के तहत ट्रिब्यूनल को बीमा कंपनी को उपलब्ध आपत्तियों की जांच किस स्तर पर करनी है, क्या ऐसी आपत्तियों को प्रारंभिक मुद्दा माना जाना चाहिए और ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया जाना चाहिए प्रथम दृष्टया, जिसके परिणामस्वरूप दावेदारों को धारा 92-ए के तहत राशि के भुगतान में देरी होगी, जो उक्त प्रावधान के अधिनियमन के अंतर्निहित उद्देश्य को आंशिक रूप से विफल कर सकता है, यानी तत्काल सहायता प्रदान करना। उन व्यक्तियों को, जिन्हें किसी दुर्घटना में अक्षम्य चोट लगी हो या उन व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को, जिनकी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई थी। हमारा विचार है कि धारा 92-ए का प्रावधान मोटर दुर्घटनाओं के असहाय और

असहाय पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने वाला लाभकारी और सुधारात्मक कानून है। जिस क्षण या तो वाहन के मालिक द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उसका वाहन दुर्घटना में शामिल था या रिकॉर्ड पर दिए गए सबूतों से, ट्रिब्यूनल सकारात्मक रूप से मानता है कि संबंधित मालिक का वाहन उस दुर्घटना में शामिल था, अगर उसने इससे इनकार किया है तथ्य और फिर यदि ट्रिब्यूनल प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वाहन का बीमा किया गया था, तो बीमा कंपनी द्वारा उठाई जा सकने वाली अन्य आपत्तियों की सत्यता की जांच किए बिना ट्रिब्यूनल धारा 92-ए के तहत पुरस्कार देने का हकदार होगा और बीमा कंपनी से अपेक्षा करें कि वह दावेदारों को तुरंत दी गई राशि का भुगतान करे और उसके बाद बीमा कंपनी या आपत्तिजनक वाहन के मालिक द्वारा उठाए गए अन्य आपत्तियों की सत्यता या अन्यथा की जांच और जांच करे।

12. यदि न्यायाधिकरण वैध कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वाहन का मालिक गलती दायित्व के सिद्धांत पर कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो जाहिर तौर पर धारा के तहत दावेदारों को उस स्कोर पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। 110-बी.इसी प्रकार, यदि ट्रिब्यूनल ने माना कि बीमा कंपनी ने ऐसी आपत्तियां साबित कर दी हैं, क्योंकि कानून के तहत उसने उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति देने की अपनी जिम्मेदारी से परहेज किया है, तो ट्रिब्यूनल उप के प्रावधानों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाता है। -धारा 9जी की धारा (4) उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को बीमा कंपनी को वह राशि देने का निर्देश देगी जो बीमा कंपनी ने अधिनियम की धारा 92-ए के तहत दिए गए पुरस्कार के अनुसरण में दावेदारों को भुगतान किया था।

13. अब उपरोक्त चर्चा के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करते समय, यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने अपने लिखित बयान में यह रुख नहीं अपनाया था कि अपराधी वाहन का बीमा नहीं किया गया था। ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया फैसला इस मामले में हमने ऊपर जो कहा है, उसके आलोक में यह पूरी तरह से एक कानूनी पुरस्कार है और अपीलकर्ता बीमा कंपनी को ट्रिब्यूनल द्वारा धारा 92 ए के तहत दी गई राशि का भुगतान करने के लिए उचित रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। हालाँकि, न्यायाधिकरण बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच और जांच करेगा और यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि वह बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यह उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को बीमा कंपनी को भुगतान करने का निर्देश देगा। वह राशि जो उसने धारा 92-ए के तहत दिए गए पुरस्कार के अनुसरण में दावेदारों को भुगतान की थी।

14.परिणामस्वरूप, विवादित निर्णय संकेतित सीमा तक कायम रहता है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील का निपटारा तदनुसार कर दिया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फिरोज़पुर झिरका, नूंह